

1/5/25

वकील शायी इप०। मूल वाद हे
साथ दिनांक 19/06/2025 को पैरा 10

उपखण्ड अधिकारी
मालाखंडा (अलवर)

19/06/25
पत्रावली पैरा 10। पत्रावली न
आगे नही चलते हुए इन्ही स्तर पर वाद
Not Proceed में स्वीकृत करने का कथन
किया। मूल वाद Not Proceed में स्वीकृत
हो चुका है। अतः पत्रावली पत्रावली Not Proceed
में स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फिलहाल
दोकर नम्बर दोकर नम्बर। वाद प्रोर्टेज मालेव
गण्य है।

Not Proceed

09/07/25 वादी के पत्रावली पत्र पर पत्रावली
तलब की गई। वादी व वादी वकील ने वाद
आगे नही चलते हुए इन्ही स्तर पर वाद
Not Proceed में स्वीकृत करने का कथन
किया। मूल वाद Not Proceed में स्वीकृत
हो चुका है। अतः पत्रावली पत्रावली Not Proceed
में स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फिलहाल
दोकर नम्बर दोकर नम्बर। वाद प्रोर्टेज मालेव
गण्य है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखंडा (अलवर) राज०

पत्रावली पैरा 10

1/5/25